अत्यावश्यक / तत्काल

प्रेषक,

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

1. अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक / प्रारम्भिक)
   गढ़वाल मण्डल / कुमायूं मण्डल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक / प्रारम्भिक)
   उत्तराखण्ड

पत्रांकः–एजु0पो0 / 558-99 /2018–19, दिनांक 20 अप्रैल 2018

विषयः– एजुकेशन पोर्टल में ई–प्रोफाइल, कोटिकरण अपडेट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुपालन में विद्यालयी शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों (अध्यापक / अधिकारी / कर्मचारी) का स्थानान्तरण किया जाना है। इस सम्बन्ध में निदेशालय (माध्यमिक / प्रारम्भिक) के विभिन्न पत्रों के माध्यम से आपको कार्मिकों के ई–प्रोफाइल एवं संस्थाओं (विद्यालय, कार्यालय, संस्थान) के कोटिकरण को अपडेट किये जाने हेतु निर्देश दिये जाते रहे हैं। आशा है अब तक सम्बन्धित कार्मिकों के ई–प्रोफाइल, कोटिकरण एवं स्वीकृत पदों के विवरण को आप द्वारा पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया होगा।

अतः पोर्टल के सम्बन्ध में यह निर्देशित किया जाता है, कि इस आशय का प्रमाण–पत्र कि– " **मेरे जनपद / मण्डल में मेरे अधीन समस्त राजकीय अध्यापक, कर्मचारी, अधिकारियों का ई–प्रोफाइल एवं समस्त संस्थाओं (विद्यालय, कार्यालय, संस्थान) का कोटिकरण दिनांक .... को अपडेट कर दिया गया है, शेष किसी भी कार्मिक का प्रोफाइल अपडेट होना शेष नहीं है, समस्त संस्थाओं का कोटिकरण कर दिया गया है, साथ ही समस्त संस्थाओं में स्वीकृत पदों का विवरण भी अंकित कर दिया गया है**" को महानिदेशालय की ई–मेल आई0डी0 dgeduuk@gmail.com पर अनिवार्य रूप से **दिनांक 21 अप्रैल 2018 तक** उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त दिनांक के पश्चात पोर्टल में प्रोफाइल डाटा फ्रीज कर दिया जायेगा। विलम्ब, अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण सूचना हेतु आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

19.4.2018

(कैप्टन आलोक शेखर तिवारी)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ0सं0 / डैशबोर्ड / 558-99 /2018–19, दिनांक उक्तांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को इस आशय से प्रेषित कि आपके कार्यालय के अधीन कार्मिकों के ई–प्रोफाइल, संस्था का कोटिकरण को पूर्ण कराते हुए उक्त प्रमाण–पत्र दिनांक 21 अप्रैल 2018 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. निदेशक (माध्यमिक, प्रारम्भिक, अकादमिक) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर राज्य परियोजना निदेशक (रमसा / एस0एस0ए0)
3. सचिव, विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड, रामनगर, नैंनीताल।
4. अपर निदेशक (माध्यमिक / प्रारम्भिक) गढ़वाल मण्डल, कुमायूं मण्डल।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड।
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी को सम्बन्धित जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।

(कैप्टन आलोक शेखर तिवारी)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड